

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 16/09/26

संचिका संख्या-07/मु०-01-157/2026-2702/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-11326/2026 रंजना कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-06.08.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“...Considering the facts and circumstances of the case and the arguments advanced on behalf of the parties, the present writ petition is disposed of with direction to the Director, Primary Education, Bihar, Patna (respondent no. 3) to consider and pass appropriate order on the representation/ application dated 15.05.2026 (Annexure-P/8 Series) of the petitioner in accordance with law expeditiously, preferably, within a period of two months from the date of order, after giving due opportunity of hearing to the parties concerned...”

3. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक-2412 दिनांक-17.08.2026 द्वारा दिनांक-20.08.2026 को सुनवाई निर्धारित किया गया।

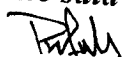
4. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-210/2010 के माध्यम से 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के रूप में वर्ष 2019 में हुई, जबकि उनके समान चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ष 2012 में ही कर दी गई। वादी का दावा है कि उक्त के कारण उन्हें वरिष्ठता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ प्राप्त नहीं हो सका जिसके कारण आर्थिक क्षति हुई है।

5. अंकनीय है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-210/2010 अंतर्गत 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के रूप वर्ष 2012 में 32127 अभ्यर्थियों के नियुक्ति की गई तथा शेष 2413 पदों में से पुनः 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

उक्त के उपरांत CWJC No.-17899/2012 एवं Civil Review No.-16/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आयोग के ज्ञापांक-958/आ० दिनांक-07.05.2019 द्वारा कुल रिक्त 2213 पदों के विरुद्ध 1960 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया तथा 244 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनुशंसा स्थगित रखी गयी। प्रस्तुत वाद के वादी श्रीमती रंजना कुमारी भी उक्त 244 अभ्यर्थियों में से है, जिसकी अनुशंसा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ज्ञापांक-1297 दिनांक-21.05.2019 द्वारा की गई। अंकनीय है कि उक्त अनुशंसा वरीय मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के योगदान नहीं किये जाने के उपरांत शेष रिक्त रह गये पदों के विरुद्ध की गई थी।

6. विदित हो कि प्रस्तुत मामले के समरूप एक अन्य वाद CWJC No.-15663/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-08.12.2025 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“...Having regard to the same the present Writ Petition is allowed. Consequently the Respondent-Authority is directed to grant the same benefits of seniority, annual increment, ACP etc. as has been extended to the similarly situated employees who were appointed earlier pursuant to the said advertisement.



4. The authority shall endeavour to calculate and pay the benefits as expeditiously as possible, preferably within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order....”

उक्त पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No.-429 / 2026 दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में लम्बित है।

7. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी को LPA No.-429 / 2026 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित माना जाएगा।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत मामले को निस्तारित किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक-07 / मु०-01-157 / 2026.....2702.....

पटना, दिनांक.....16/09/26.....

प्रतिलिपि:- Ranjana Kumari Daughter of Ram Kinkar Singh, Wife of Chandra Deo Singh, Resident of Village- Pratap Nagar, Mehsaul, Police Station- Sitamarhi, District- Sitamarhi.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07 / मु०-01-157 / 2026.....2702.....

पटना, दिनांक.....16/09/26.....

प्रतिलिपि:- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07 / मु०-01-157 / 2026.....2702.....

पटना, दिनांक.....16/09/26.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।